



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1287/2026/456/22-2-2026-17(170)/2026
लखनऊ: दिनांक: 29 सितम्बर, 2026
आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती भानमती (बन्दी संख्या-308/2024) पत्नी श्री खेताहू, डेफरा, थाना-बेलीपार, जनपद-गोरखपुर की निवासिनी है, महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-423/2018 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए, 3/4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी० सी०-2, गोरखपुर के दण्डादेश दिनांक 12.07.2024 द्वारा 07 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में महिला बन्दी की अपील लम्बित है, महिला बन्दी द्वारा दिनांक 14.11.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 10 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 02 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1287/2026/456(1)/22-2-2026 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर।
- 4- अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।